म.प्र. शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/5511/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2013 भोपाल, दिनांक 26/06/2013

प्रति,

1. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा
3. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग जिला– समस्त म.प्र.।

//परिपत्र क्रमांक–4//

विषयः महात्मा गांधी नरेगा के कार्यो में कियान्वयन हेतु मेट (श्रमिक प्रमुख) व्यवस्था– नवीन दिशा–निर्देश।

संदर्भः
1. विभाग का पत्र क्र. 1915/22/वि–3/ग्रायांसे/07/06, दि. 29/03/2006।
2. विभाग का पत्र क्र. 435/22/वि–7/ग्रारो/07, दि. 13.03.2007।
3. विभाग का पत्र क्र. 2996/22/वि–7/ग्रारो/07, दि. 30.09.2007।
4. विभाग का पत्र क्र. 1688/22/वि–7/NREGS-Tech/2008, दि..25.03.2008।

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के दिशा–निर्देश 2013 चतुर्थ संस्करण बिन्दु क्र. 4.1.1 में योजना अंतर्गत संपादित कराये जाने वाले कार्यो में कार्य स्थल पर्यवेक्षक के रूप में मेट को लगाए जाने एवं पारिश्रमिक की गणना अर्द्ध कुशल श्रमिक के रूप में किए जाने का लेख है। उक्त दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में विभाग के संदर्भित पत्रों से पूर्व में जारी समस्त दिशा–निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए मेट व्यवस्था के संबंध में नवीन निर्देश निम्नानुसार प्रसारित किए जाते है :

1. **नामांकन** : ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक कार्यस्थल पर 40 से 50 श्रमिकों के समूह के लिए एक मेट कार्य स्थल पर्यवेक्षक के रूप में नामांकित किया जावेगा। विभाग के परिपत्र क्र. – 2, 1779/NR-2/MGNREGA-MP/2013, दि. 20.02.2013 के बिन्दु क्रमांक 3.1 एवं विभाग के परिपत्र क्र. – 3, 2751/NR-2/MGNREGA-MP/2013, दि. 15.03.2013 के बिन्दु क्रमांक 3.1 द्वारा जारी निर्देशों में प्रत्येक 30 श्रमिकों के समूह के लिए एक मेट के नामांकन का उल्लेख है, जिसे उपरोक्तानुसार परिमार्जित किया गया है। मेट नामांकन के मापदंड निम्नानुसार होगें :
   I. मेट को कम से कम आठवी कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा उसे मनरेगा योजना में जाबकार्डधारी श्रमिक के रूप में कामकाज करने का अनुभव होना चाहिये।

मेट नामांकन प्रकिया में जरूरतमंद परिवारों, महिलाओं एवं विकलांग व्यक्तियों को यथा संभव प्राथमिकता दी जावे।

II. मेट का नामांकन श्रमिक समूह द्वारा किया जावेगा एवं संलग्न प्रारूप (परिशिष्ट–1) में ग्राम रोजगार सहायक के माध्यम से ग्राम पंचायत से अनुमोदन कराया जावेगा। ग्राम रोजगार सहायक द्वारा ई–मस्टर रोल जारी कराने हेतु तैयार श्रमिकों एवं मेट का नाम अर्द्ध कुशल श्रमिक के रूप में अंकित कर जनपद पंचायत से पृथक–पृथक मस्टर रोल जारी कराये जावेगे।

III. श्रमिक समूह द्वारा ऐसे सदस्य का नामांकन मेट के लिये किया जावे, जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताधारक होने के साथ मेट के उत्तरदायित्व को भलीभांती सम्पादित कर सके।

IV. मेट के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति उस समय उसी MGNREGS कार्यस्थल पर श्रमिक नहीं होगा।

V. श्रमिक समूह द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने वाली अध्यक्ष, महिला स्व–सहायता समूह या अन्य सदस्य को भी मेट के रूप में चयनित कर ग्राम पंचायत से नामांकित कराया जा सकता है।

VI. मेट का नामांकन कार्य/कार्यो के संचालन के दौरान ही मान्य किया जा सकेगा।

2. मेट के उत्तरदायित्व :

I. मनरेगा के तहत पात्र हितग्राहियों को उनकी निजी भूमि पर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु लिये जा सकने वाले अनुमत कार्यो के संबंध में पूर्ण जानकारी देना।

II. पात्र हितग्रहियों की सहमति अनुसार सहमति पत्र आवश्यक दस्तावेजो सहित सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में जोड़े जाने हेतु ग्राम रोजगार सहायक को उपलब्ध कराने हेतु प्रेरित करना।

III. संबद्व समूह के सदस्यों द्वारा अथवा अलग–अलग श्रमिकों द्वारा काम मांगने पर परिशिष्ट–2 में काम के लिये आवेदन प्राप्त कर, ग्राम रोजगार सहायक को उपलब्ध कराना तथा परिशिष्ट–3 पर आवेदन की रसीद प्राप्त कर रखना।

IV. श्रमिक समूह के सदस्यों द्वारा पृथक–पृथक आवेदन की जगह एक ही आवेदन पर कार्य की मांग करने पर स्वीकार करना। जो महिलाए कार्य पर अपने छोटे बच्चों को लेकर आना चाहती हैं उनसे आवेदन प्राप्त करते समय इसका उल्लेख करने हेतु सलाह देना।

V. सचिव ग्राम पंचायत से परिशिष्ट–4 पर कार्य आवंटन प्राप्त कर समूह के सभी सदस्यों को कार्य स्थल की जानकारी देना एवं तत्समय लागू न्यूनतम मजदूरी दर की जानकारी देना।

VI. कार्य स्थल पर कार्य प्रभारी/सक्षम तकनीकी अधिकारी से ले–आउट प्राप्त करना तथा प्रतिदिन मार्क ले–आउट लेकर, समूह को प्रतिदिन काम देना एवं निर्धारित टास्क के अनुसार कितना कार्य करने पर उन्हें न्यूनतम मजदूरी प्राप्त होगी, यह बतलाना।

VII. विभाग के कार्य प्रभारी से ई–मस्टर प्राप्त कर उपस्थिति दर्ज करना तथा रोजगार सप्ताह (6 दिवस) अनुसार साप्ताहिक हाजिरी भरना। उपस्थित श्रमिकों से उनके जॉब कार्ड प्राप्त कर जॉब कार्ड में आवश्यक प्रविष्टियाँ कर अद्यतन करना।

VIII. विकलांग एवं वरिष्ठ नागरिक (65 वर्ष से अधिक आयु) को विभाग के पत्र क. 3271/MGNREGS-MP/NR-3/SE-II/2013, दि. 03.04.2013 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार योजना अंतर्गत चिन्हित किए गए विशिष्ट कार्य हेतु लगाना।

IX. कार्य स्थल का पर्यवेक्षण कर प्रारंभिक माप दर्ज करना तथा कार्य प्रभारी को भरा हुआ मस्टर प्रस्तुत करना तथा उपयंत्री को माप दर्ज करने में मदद करना।

X. यह सुनिश्चित करना कि उसके श्रमिक समूह के जाबकार्डधारी परिवार 100 दिन वर्ष में काम प्राप्त कर सकें।

XI. अपने समूह के सदस्यों को कार्य की क्रियान्वयन एजेन्सी लाईन विभाग या शासन द्वारा घोषित अन्य क्रियान्वयन एजेन्सी या ग्राम पंचायत द्वारा जारी भुगतान पर्ची देना। समूह के सदस्यों को उनके बैंकिंग कार्य में सहायता करना।

XII. कार्य स्थल पर श्रमिक संख्या कम होने पर एक से अधिक कार्यस्थलों का पर्यवेक्षण

XIII. उपयंत्री या प्रभारी तकनीकी अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त कर कार्य के निर्धारित मापदंड अनुसार कार्य का संपादन कराना।

XIV. कार्य स्थल पर साइट आर्डर पुस्तिका व अन्य अभिलेखों को संधारित रखना।

XV. यह सुनिश्चित करना कि उसके श्रमिकों के समूह में कोई खाली न बैठा रहे।

XVI. अपने समूह के अनपढ़ श्रमिकों को हस्ताक्षर करने एवं मजदूरी की गणना करने में मदद करना।

XVII. मनरेगा के अंतर्गत अधिकारों और हक धारियों के बारे में जानकारी देना।

XVIII. कार्य स्थल पर पीने के पानी, छाया एवं न्यूनतम 05 छोटे बच्चे होने पर झूला घर की व्यवस्था ग्राम रोजगार सहायक/कार्य प्रभारी के माध्यम से करना।

XIX. कार्य स्थल पर फर्स्ट एड बाक्स रखना तथा स्वास्थ्य संबंधी आकस्मिक उपचार प्रदान करना।

XX. कार्य में समुचित भागीदारी सुनिश्चित करते हुए ग्राम पंचायत को सहयोग करना।

XXI. प्रत्येक कार्य स्थल पर पक्का सूचना फलक लगवाना।

3. **क्या नहीं करना :** कार्य संपादन के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें :

I. ले–आउट के बगैर कार्य प्रारंभ नहीं करना।

II. भूमि विवाद होने पर कार्य प्रारंभ नहीं करना।

III. कच्चा मस्टर रोल पर हाजिरी दर्ज नहीं करना।

IV. 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्कों को कार्य पर नहीं लगाना।

V. अभद्र भाषा या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग विकलांग, वरिष्ठ नागरिकों सहित किसी से नहीं करना।

VI. कार्य स्थल की आवश्यकता से अधिक मजदूरों को एक ही काम पर नहीं लगाना।

VII. मस्टर रोल पर अंकित जाबकार्डधारी श्रमिक के बदले में एवजीदार को नहीं लगाना।

VIII. महिलाओं एवं पुरूषों में मजदूरी दर को लेकर कोई भेदभाव नहीं करना।

IX. मानव श्रम के बदले मशीनों (जेसीबी मशीनों) से खुदाई कार्य नहीं कराना।

4. **प्रशिक्षण** : श्रमिक समूह द्वारा चयनित एवं ग्राम पंचायत द्वारा नामांकित मेट्स की सूची रोजगार सहायक द्वारा उपयंत्री एवं पंचायत समन्वयक को उपलब्ध कराई जावेगी। दोनों अधिकारियों द्वारा नामांकित मेट्स को अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में भ्रमण के दौरान निम्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जावेगा :

I. मेट के उत्तरदायित्व।

II. क्या नहीं करना।

III. कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री यथा रेत, गिट्टी, सीमेन्ट आदि की पहचान एवं गुणवत्ता।

IV. अभिलेखों का संधारण यथा मस्टर रोल, इनर शीट, प्राक्कलन, साइट आर्डर बुक तथा कार्य के माप हेतु टेप (Measuring Tape), स्टाम्प पेड व प्राथमिक उपचार चिकित्सा बाक्स।

V. Mesuring Tape, केल्कुलेटर, स्केल (12 इंच) व पेन सहित मेट्स प्रशिक्षण में भाग लेगें।

VI. प्रशिक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही मेट्स को कार्य संपादन में लगाया जावेगा। उपयुक्त नहीं पाये जाने पर दोबारा प्रशिक्षण दिया जावेगा। इसके बावजूद भी उपयुक्त नहीं पाये जाने पर श्रमिक समूह से दूसरे व्यक्ति को मेट के नामांकन हेतु प्रस्तावित करने को कहा जावेगा।

5. **भुगतान व्यवस्था** : श्रमायुक्त कार्यालय, म.प्र. शासन इंदौर के पत्र क्र. 1/9/अ/5/2009/36713–37012, इंदौर दि. 03.10.2012 के अनुसार न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत दैनिक वेतन भोगी श्रमिको के लिए दि. 01.10. 2012 से प्रवाहशील दरों में अर्द्ध कुशल श्रमिकों के लिए 195/– प्रतिदिवस दर निर्धारित की गई है।

I. मेट को अर्द्ध कुशल श्रमिकों के वर्ग में रखा गया है।

II. मेट की हाजिरी पृथक ई–मस्टर रोल जनपद स्तर से जारी कराया जाकर भरी जावेगी, जिसका सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाकर भुगतान पारित किया जावेगा। एक सप्ताह में उपस्थिति अनुसार अधिकतम 06 दिवस का भुगतान उसके बैंक खाते में एफ.टी.ओ. के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जा सकेगा।

III. मेट को 195/– प्रतिदिवस की दर से मस्टर रोल पर साप्ताहिक भुगतान कार्य में नियोजित अन्य अकुशल श्रमिक समूह के साथ ही किया जावेगा, जिसे मनरेगा अधिनियम के प्रावधान अनुसार संपादित कार्य के सामग्री मद में समायोजित किया जावेगा।

IV. मेट को निर्धारित भुगतान प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 40 से 50 जाबकार्डधारी श्रमिक समूह को कार्य पर नियोजित करने की अनिवार्यता रहेगी। श्रमिक समूह में 40 से कम सदस्य कार्य पर नियोजित होने की स्थिति में समानुपातिक दैनिक मजदूरी दर प्राक्कलित कर भुगतान किया जावेगा। उदाहरणस्वरूप :

श्रमिक संख्या	मजदूरी दर	समानुपातिक राशि
40 से 50	195	195
30	195	146.25
20	195	97.5

6. मेट के नियोजन में आनाकानी एवं मेट द्वारा मस्टर रोल में अनियमितता करने पर दण्डात्मक कार्यवाही :

I. श्रमिक समूह द्वारा चयनित मेट को ग्राम पंचायत द्वारा नामांकित करने में आनाकानी या अमान्य करने पर श्रमिक समूह कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत को आवेदन कर सकेगा। आवेदन की जांच में तथ्य सही पाये जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव के विरूद्ध मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 25 के तहत् राशि रू. 1000/– तक का अर्थदण्ड सक्षम प्राधिकारी जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अधिरोपित किया जा सकेगा।

II. मस्टर रोल सत्यापन या किसी के द्वारा की गई शिकायत की जांच में मस्टर रोल में जिन व्यक्तियों द्वारा कार्य नहीं किया गया है, उनके नाम मजदूरी भुगतान होना पाये जाने पर मेट को उत्तरदायी माना जाकर उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

7. **मानीटरिंग :** योजना अंतर्गत नामांकित व कार्यो में संलग्न मेट्स की भौतिक प्रगति की जानकारी संलग्न प्रपत्र(परिशिष्ट–5) में जनपद पंचायत, जिला पंचायत एवं राज्य स्तर से की जावेगी।

8. **प्रचार–प्रसार :** मेट के कार्य में नियोजन की प्रक्रिया का सभी ग्राम पंचायतों एवं उनके आश्रित ग्रामों में डोडी पिटवाकर प्रचार–प्रसार करना। स्थानीय भाषा में 3X4 वर्गफुट में फ्लेक्स तैयार कर प्रत्येक ग्राम पंचायत या ग्राम के भीड़–भाड़ वाले उपयुक्त स्थान पर एवं जनपद पंचायत कार्यालय में प्रदर्शित करना।

उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल, दिनांक 26/06/ 2013

5512
पृ. क्र./ /MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2013,

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
3. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, तिलहन संघ भवन, भोपाल।
4. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
5. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
6. मुख्य अभियंता, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
7. संयुक्त आयुक्त, वित्त एवं लेखा/मीडिया शाखा/मॉनिटरिंग शाखा, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
8. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल मध्यप्रदेश ।
9. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश ।

10. समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्यप्रदेश। कृपया अपने स्तर से सहायक यंत्री/उपयंत्रियों एवं ग्राम पंचायतों को इस परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावें।

प्रति,

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. निज सहायक, मान. राज्य मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

परिशिष्ट–1

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कार्यो के कियान्वयन हेतु मेट (श्रमिक समूह) के नामांकन का प्रस्ताव

प्रति,

सरपंच
ग्राम पंचायत
.....

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत संपादित कराये जाने वाले कार्यो में ग्राम....., ग्राम पंचायत....., जनपद पंचायत.....व जिला..... के तहत .....जाबकार्डधारी श्रमिकों का समूह गठित है।

हम समूह के सदस्यों द्वारा आपसी सहमति से मेट्स के नामांकन हेतु प्रस्ताव किया है

.....

.....

.....

(नाम, पता एवं मोबाइल नंबर)

उक्त श्रमिक 8वीं कक्षा उत्तीर्ण है (अंकसूची की छायाप्रति संलग्न है) तथा हम लोगों के साथ अकुशल श्रम का कार्य नहीं करेगा। सिर्फ मेट के रूप में निर्धारित दायित्वों का निर्वहन करेगा।

कृपया उक्त श्रमिक का मेट हेतु नामांकन करने का कष्ट करें।

हस्ताक्षर श्रमिक समूह

कार्यालय ग्राम पंचायत .....

जनपद पंचायत.....जिला.....

श्रमिक समूह के प्रस्ताव अनुसार श्री .....पिता श्री ..... पता.....को मनरेगा के कार्य में संचालन के दौरान अर्द्ध कुशल श्रमिक के रूप में मेट के कार्य हेतु नामांकित किया जाता है।

ग्राम रोजगार सहायक

सरपंच
ग्राम पंचायत.....

परिशिष्ट -2

काम के लिए आवेदन पत्र

(महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 की अनुसूची-II की धारा 3 (i) तथा अनुच्छेद 9 देखें)

सेवा में,

सरपंच

ग्राम पंचायत

ब्लॉक

जिला

दिनांक

सेवा में,

कार्यक्रम अधिकारी

ब्लॉक

जिला

आवेदन कोड

(कार्यालय द्वारा भरे जाने के लिए)

विषय : काम के लिए संयुक्त आवेदन

महोदय / महोदया,

मैं एतद्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची-II की धारा 3 (i) तथा अनुच्छेद 9 के अन्तर्गत काम के लिए आवेदन करता / करती हूँ। हमारे अनुरोध का तथा जिस अवधि के लिए काम चाहिए उसका ब्यौरा निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	आवेदक का नाम तथा पिता / पति का नाम	पता	जॉब कार्ड क्रमांक	अवधि जिसके लिए रोजगार की जरूरत है		शिशु सदन की आवश्यकता (हाँ / नहीं)	आवेदक के हस्ताक्षर अथवा बाएं हाथ के अंगूठे का निशान
				से	तक		

हम आवंटित किया गया कार्य कम से कम 14 दिन लगातार करने के इच्छुक हैं।

परिशिष्ट –3

काम के आवेदन की दिनांक संयुक्त रसीद

(काम के लिए संयुक्त आवंटन के मामले में ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रत्येक आवेदक को अलग से जारी करने के लिए)

सेवा में,

श्री/श्रीमती .....

जॉब कार्ड क्रमांक .....

ग्राम .....

ग्राम पंचायत .....

ब्लॉक .....

जिला .....

महोदय/महोदया,

यह रसीद इस बात की पावती है कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 की अनुसूची-II के अनुच्छेद 10 के अन्तर्गत आपसे दिनांक ..... (दिन/माह/वर्ष) को आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन कोड है .....

2. इसके जरिए आपको यह आश्वासन दिया जाता है कि आपको ..... तक अर्थात् आवेदन करने की तारीख से अथवा जब से काम मांगा गया है उस तारीख से 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा।
3. यदि उपर्युक्त अनुच्छेद 2 के अनुसार आपको रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सका तो आपको अधिनियम के अनुसार दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

कार्यालय की मुहर

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

दिनांक .....

टिप्पणी : ग्राम रोजगार सहायक द्वारा दिनाक युक्त रसीद जारी की जाएगी।

परिशिष्ट –4

(महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 की अनुसूची-II के अनुच्छेद 11 देखें)

काम आवंटन आदेश

पत्र संख्या ..... दिनांक .....

सेवा में

श्री/श्रीमती ..... ग्राम पंचायत .....

जॉब कार्ड क्रमांक ..... ब्लॉक .....

ग्राम ..... जिला .....

विषय : काम के लिए आवंटन से संबंधित जानकारी

काम करने के लिए आपके दिनांक ..... वाली ..... कोड नम्बर वाले आवेदन के संबंध में आपको महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की अनुसूची-II के अनुच्छेद –11 के अन्तर्गत एतद्वारा ..... (परियोजना का नाम) पर काम के लिए हाजिर होने के लिए अधिसूचित किया गया है।

(क) ..... को (काम चाहने की तारीख, अग्रिम आवेदन के मामले में,) अथवा

(ख) आवेदन की तारीख से 15 दिन के भीतर

(क) अथवा (ख) जो लागू न हो काट दें।

..... परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है ..... (स्थान) ..... (गाँव) ..... (ग्राम पंचायत)..... (ब्लॉक)..... (जिला) में

1. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर काम पर उपस्थित होने में असफल रहते हैं तो आप महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की धारा 9 के अनुसार तीन माह की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ते का दावा करने के पात्र नहीं होंगे। तथापि आप किसी भी समय रोजगार मांगने के पात्र होंगे।
2. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि आपको मजदूरी का भुगतान हर हफ्ते किया जाएगा अथवा किसी भी मामले में काम होने की तारीख से 15 दिन के भीतर जैसा कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की धारा 3(3) में दिया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर* .....

नाम ..... पदनाम ..... दिनांक .....

*प्राधिकृत व्यक्ति सरपंच अथवा कार्यक्रम अधिकारी अथवा उसके स्थान पर प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है। .....

संख्या ..... दिनांक .....

प्रतिलिपि प्राधिकृत व्यक्ति (ग्राम पंचायत)/कार्यक्रम अधिकारी ..... (ब्लॉक), को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

दिनांक .....

कार्यालय की मुहर

परिशिष्ट "5"

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.

मेट व्यवस्था भौतिक प्रगति पत्रक

जिले का नाम..... वित्तीय वर्ष ..... प्रतिवेदित माह.....

क.	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायतों की संख्या	नामांकित मेट संख्या	कार्यो में संलग्न मेट संख्या	मेट्स का औसत भुगतान प्रतिदिवस
1	2	3	4	5	6

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत.....